कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी विभाग,
जल भवन बाणगंगा भोपाल

क्रमांक 3184 /प्र.अ./विधि/लो.स्वा.यां.वि./2024 भोपाल, दिनांक 02/04/2024

प्रति,

1. मुख्य अभियंता,
   लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग
   परिक्षेत्र भोपाल/(वि./यां.) भोपाल/
   इंदौर/जबलपुर/ग्वालियर
2. समस्त अधीक्षण यंत्री,
   लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग
   मंडल.....
3. समस्त कार्यपालन यंत्री,
   लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग
   खंड.....

विषयः– दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा स्थायी वर्गीकरण के आदेशों के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष स्थायी वर्गीकरण के दिनांक से वर्तमान तक की संपूर्ण एरियर राशि प्राप्त करने के लिये दायर किये जाने वाले न्यायालयीन प्रकरणों में रिट पिटीशन के आधार पर दावों का निराकरण कर जबावदावा दाखिल करने विषयक।

संदर्भः–(1) इस कार्यालय का पत्र कमांक 13300/प्र.अ./विधि/लो.स्वा.यां.वि./2023 भोपाल, दिनांक 27.09.2023

(2) इस कार्यालय का पत्र कमांक 3173/प्र.अ./विधि/लो.स्वा.यां.वि./ भोपाल, दिनांक 02.04.24

——0——

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र कमांक–1 के माध्यम से स्थायी वर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा, स्थायी वर्गीकरण के दिनांक से वर्तमान तक की एरियर राशि प्राप्त करने हेतू दायर किये जाने वाले न्यायालयीन प्रकरणों में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत पारित निर्णयों को आपको संसूचित करते हुये निर्देशित किया गया था कि इन निर्णयों को माननीय न्यायालय के समक्ष अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावे। इन सभी निर्णयों में यह अभिनिर्धारण किया गया है कि वादी कर्मचारी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण दायर करने की दिनांक से अधिकतम तीन वर्ष पूर्व तक की ही एरियर राशि की पात्रता आती है।

इसी प्रकार संदर्भित पत्र कमांक–2 के माध्यम से जिन न्यायालयीन प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थाई वर्गीकरण दिनांक से वर्तमान तक की एरियर राशि दिये जाने के बाध्यकारी

निरंतर––2––

आदेश दिये गये हैं, उनमें रिव्यू पिटीश्न दायर कर एरियर राशि को रिट याचिका दायर करने से तीन वर्ष पूर्व तक सीमित कराने का प्रयास करने हेतु निर्देशित किया गया था।

विभाग के संज्ञान में आया है कि एरियर राशि से संबंधित कुछ न्यायालयीन प्रकरण, जिनमें दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा उनके पक्ष में वर्ष 2003–04 में जारी किये गये स्थाई वर्गीकरण आदेशों को आधार बनाकर, स्थायी वर्गीकरण दिनांक से वर्तमान तक की एरियर राशि प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे है, अभी भी दायर किये जा रहे हैं तथा कुछ ऐसे प्रकरण पूर्व से ही विचाराधीन हैं। ऐसे प्रकरणों के प्रतिरक्षण में पूर्व से ही सावधानी बरतने की आवयकता है अन्यथा संपूर्ण एरियर राशि प्रदान करने संबंधी बाध्यकारी न्यायालयीन निर्णय जारी हो सकते हैं।

इस प्रकृति के प्रकरणों में जो वर्तमान में न्यायालयों के समक्ष विचाराधीन हैं, विभाग के स्तर से प्रभावी प्रतिरक्षण के उद्देश्य से यह निर्देशित किया जाता है कि मुख्य अभियंता स्तर से पूर्व से ही रिट याचिका दायर करने के दिनांक से तीन वर्ष पूर्व की एरियर राशि स्वीकृत करने के संबंध में आदेश जारी कर, उन आदेशों को माननीय न्यायालय के समक्ष जबावदावे के रूप में प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जावे।

आपके मार्गदर्शन हेतु मुख्य अभियंता स्तर से जारी किया जाने वाला आदेश प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया विषयांकित प्रकृति के विचाराधीन न्यायालयीन प्रकरणों में मुख्य अभियंता स्तर से उक्त आदेश जारी कर पूर्व से ही माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराने की कार्यवाही करें ताकि भविष्य में रिव्यू पिटीशन/रिट अपील आदि दायर करने की स्थिति निर्मित होने से रोकी जा सके।

पुनः आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया जाता है कि जिन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के संबंध में स्थायी वर्गीकरण के प्रशासकीय आदेश पूर्व में जारी हुये हैं, मात्र ऐसे कर्मचारी द्वारा एरियर राशि हेतु न्यायालयीन प्रकरण दायर किये जाने पर ही इस पत्र के अनुसार कार्यवाही संपादित की जानी है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार आदेश प्रारूप

1.4.2024

प्रमुख अभियंता

कार्यालय मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
——— परिक्षेत्र ———

क्रमांक / मु अ./लोस्वायांवि./2024 दिनांक

//आदेश//

इस आदेश के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर / खंडपीठ ग्वालियर / खंडपीठ इंदौर की रिट पिटीशन क्रमांक ———— (————एवं अन्य बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में शामिल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड ——— से सम्बंधित, कार्यरत /सेवानिवृत्त कर्मचारी /कर्मचारीगणो के द्वारा रिट पिटीशन में चाहे गये स्वत्वों का निर्धारण किया जा रहा है।

(1) श्री ————, श्री ———— , श्री ———— एवं श्री ———— द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर / खंडपीठ ग्वालियर / खंडपीठ इंदौर के समक्ष रिट पिटीशन क. ———— दायर कर माननीय न्यायालय से निम्न सहायता चाही गई है :–

प्रतिवादियों को निर्देशित किया जावें कि वे याचिकाकर्ता कर्मचारी /कर्मचारीगणो को स्थाई वर्गीकरण के दिनांक ———— से आज पर्यन्त / नियमितीकरण के दिनांक ———— तक का पद का न्यूनतम वेतनमान और वेतन अंतर की राशि का लाभ, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **"रामनरेश रावत (सुप्रा)"** प्रकरण में पारित निर्णय अनुसार प्रदान करे तथा उक्त अवधि की वेतन एरियर की राशि भी प्रदान करे ।

(2) याचिकाकर्ता कर्मचारी /कर्मचारीगणो द्वारा रिट पिटीशन में उठाये गए मुद्दों का बिन्दुवार निराकरण निम्नानुसार किया जा रहा है :–

(अ) याचिकाकर्ता कर्मचारी /कर्मचारीगणो को कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड ——— के प्रशासकीय आदेश क्रमांक ——— दिनांक ——— द्वारा स्थाई वर्गीकृत किया गया था । विभाग द्वारा समय – समय पर लिए गए निर्णयानुसार उनका स्थाई वर्गीकरण अभी भी प्रभावशील मान्य है ।

(ब) याचिकाकर्ता कर्मचारी /कर्मचारीगणो को माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा अवमानना याचिका क्रमांक 771/2015 (राम नरेश रावत एवं अन्य बनाम अश्विनी कुमार राय एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 15.12.2016 के अनुसार उसे /उन्हें जिस दिनांक से स्थाई वर्गीकृत किया गया था , उस दिनांक से जिस पद पर स्थाई वर्गीकृत किया गया /गए था /थे, उस पद के नियमित वेतनमान के न्यूनतम वेतन और वेतन अंतर की एरियर राशि पाने की पात्रता आती है ।

(स) प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया गया है कि याचिकाकर्ता कर्मचारी /कर्मचारीगणो द्वारा स्थाई वर्गीकरण आदेश के आधार पर नियमित वेतनमान / नियमित वेतनमान के न्यूनतम वेतन (वेतन वृद्धि छोड़कर) और तत्सम्बन्धी

एरियर राशि का लाभ प्राप्त करने के लिए, स्थाई वर्गीकरण का प्रशासकीय आदेश जारी होने के उपरांत ——— वर्षो के पश्चात् दिनांक ——— को मान उच्च न्यायलय के समक्ष रिट याचिका क्रमांक ———दायर की गयी है ।